

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा शुक्रवार की परेड में प्रतिभाग कर ली गयी सलामी तथा दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 16.09.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस लाइन मऊ में साप्ताहिक शुक्रवार की परेड के अवसर पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान महोदय द्वारा उच्च कोटि का अनुशासन, वर्दी का टर्नआउट, शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें। दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखें। जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।

इस दौरान ड्रोन कैमरा, फॉरेन्सिक वैन, चारपहिया/दोपहिया पीआरवी वाहनों के साफ-सफाई, हूटर, लाइट, एमडीटी, मेडिकल किट, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी राइट इक्विपमेंट आदि को चेक किया गया तथा पीआरवी कर्मियों को गंभीर व महिला संबंधित घटनाओं की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंचकर की जाने वाली प्राथमिक कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित करने हेतु क्राइम सीन किट का सही तरीके से प्रयोग करने व रिस्पॉन्स टाइम, जीपीएस परसेंटेज आदि में सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर विभिन्न शाखाओं एवं परिसर की साफ सफाई इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। महोदय ने परिसर की समग्र व्यवस्था, बैरक और मेस में भोजन व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण का जायजा लिया। साथ ही कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ पुलिस सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मुहम्मबाद श्री जितेन्द्र सिंह, प्रतिसार निरीक्षक अरूण कुमार सिंह व भारी संख्या में पुलिस अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति फेज-6 के तहत महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा, दो महिला उपनिरीक्षकों को बनाया गया चौकी प्रभारी

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक 15.10.2026 को विभिन्न चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव।

जनपद मऊ में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से दिनांक 15.10.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा विभिन्न चौकी प्रभारियों के स्थानांतरण किए गए। इस दौरान मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण को

प्रोत्साहित करते हुए दो महिला उपनिरीक्षकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया।

इस क्रम में महिला उपनिरीक्षक निशा त्रिपाठी को चौकी प्रभारी खीरीबाग, थाना कोतवाली नगर तथा महिला उपनिरीक्षक श्रीमती मधु शर्मा को चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली नगर नियुक्त किया गया।

महिला उपनिरीक्षकों को चौकी प्रभारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपा जाना महिला सशक्तीकरण, समान अवसर एवं पुलिस विभाग में महिला पुलिसकर्मियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्यवाही तथा महिला संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण को और अधिक गति मिलने की अपेक्षा है।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत जनपद मऊ पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा संबंधी उपायों तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से किए गए इस बदलाव के क्रम में महिला उपनिरीक्षकों को चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी प्रदान करना महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा महिलाओं बालिकाओं एवं छात्राओं को किया जा रहा जागरूक, पंपलेट वितरित कर दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी -

नारी शक्ति का करें सम्मान, तभी बनेगा देश महान।****

मिशन शक्ति 6.0 के चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण की ओर सशक्त पहल
शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा, के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों स्कूलों कालेजों एवं गांवों में जाकर आमजन, विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पंपलेट वितरित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों, महिला उत्पीड़न एवं लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, बालिकाओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी, बाल अधिकारों तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों तथा पुलिस सहायता सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़छाड़ अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी भय के पुलिस से संपर्क करने एवं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सहायता 112, महिला हेल्पलाइन 181 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के संबंध में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध सहायता, परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।

जनपद मऊ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने, महिलाओं में आत्मविश्वास विकसित करने तथा सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा 02 पीड़ितों का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 90,649/- (नब्बे हजार छः सौ उन्चास रुपया) पीड़ितों को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना व घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 16.10.2026 को पीड़ितों/ आवेदकों का यूपीआई के माध्यम से फोन करके फ्राड की गयी कुल धनराशि- 90,649/- (नब्बे हजार छः सौ उन्चास रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण

1.थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के पीड़िता/आवेदिका इशरत परवीन निवासी ग्राम कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के कुल धनराशि – 40,649/- रुपये वापस कराया गया।

2.थाना घोसी जनपद मऊ के पीड़ित/आवेदिक राजू पुत्र शीतलदान निषाद निवासी ग्राम पकड़ी बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ के कुल धनराशि – 50,000/- रुपये वापस कराया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं ।

पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 16.10.2026 को रघौली बाजार के पास से मु0अ0सं0- 379/26 धारा 87/137(2) /64(2)एम बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रियांशु पुत्र राजेश निवासी ग्राम अरियसो थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता

1. प्रियांशु पुत्र राजेश निवासी ग्राम अरियसो थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0- 379/26 धारा 87/137(2) /64(2)एम बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना घोसी मऊ ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 16.10.2026

2.स्थान – रघौली बाजार के पास

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 02 वारण्टी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 16.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

***थानावार कार्यवाही का विवरण*-**

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी पारस राजभर पुत्र देऊ राजभर निवासी ग्राम सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

2.थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी सुभाष यादव पुत्र पतिराम यादव निवासी ग्राम नेवादा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 16.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत टीमे गठित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर बदल बदलकर सदिग्ध वाहनो/ व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 255 वाहनों को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी । यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

जनपद मऊ के मिशन शक्ति केन्द्र पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-6, एंटी रोमियो स्कवायड एवं परिवार परामर्श केंद्र की अनूठी पहल, काउंसलिंग के बाद परिवारों में लौटी खुशियां

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति फेज-6' अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारीगण के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थानो पर संचालित मिशन शक्ति केन्द्र पुलिस टीम द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम में अभियान के दौरान थाना स्तर पर पुलिस के प्रयासों से ऐसे पारिवारिक प्रकरणों और छोटे- मोटे घरेलू विवादों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया था, जिनके कारण परिवारों में दूरियां आ गई थीं । पुलिस की काउंसलिंग टीम और एंटी रोमियो स्कवायड ने दोनों पक्षों की बात सुनकर आपसी सझबझ और संवाद के जरिए मामलों को सुलझाया । कार्यक्रम में उन सभी संबंधित परिवारों और अभिभावकों को थाने पर आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया, जिनके पारिवारिक मामलों का सफल समाधान कराया गया था । इस दौरान परिवारों को एक मंच पर लाकर उनके बीच आपसी प्रेम और

विश्वास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा दंपतियों और परिजनों से फीडबैक लिया गया कि वे वर्तमान में अपने वैवाहिक व पारिवारिक जीवन से कितने संतुष्ट हैं। काउंसलिंग के बाद एक बार फिर साथ रहने और हंसी-खुशी जीवन बिताने का संकल्प लेते हुए परिवारों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी ने पुलिस प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा किया गया।

कार्यक्रम में समस्त थानों के मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी व कर्मचारीगण अपने अपने थाने पर मौजूद रहे तथा कार्यक्रम के अंत में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं एवं परिजनों को शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे विमेन पावर लाइन (1090), आपातकालीन सेवा (112), महिला हेल्पलाइन (181) तथा साइबर अपराध से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और जागरूक किया गया।

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मारपीट कर हत्या करने वाले 04 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0- 1300/2015 धारा 302, 323, 504 भादवि0 थाना घोसी जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद मऊ द्वारा हत्या व मारपीट करने वाले दोषी अभियुक्तगण 1.पिन्टू वर्मा, 2.गौरव वर्मा, 3.जीवेश वर्मा पुत्रगण प्रहलाद वर्मा, 4.आदित्य वर्मा पुत्र इन्द्रजीत वर्मा निवासीगण ग्राम भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अवैध शस्त्र रखने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0- 159/2006 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रानीपुर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा अवैध शस्त्र रखने वाले दोषी अभियुक्त ज्ञानचन्द्र यादव उर्फ मेघा पुत्र रामनन्द यादव निवासी ग्राम बरहा थाना रानीपुर जनपद मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत लापरवाही से वाहन चलाते हुए चोट पहुंचाने वाले 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 800/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0- 1281/2008 धारा 279, 337 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए चोट पहुंचाने वाले दोषी अभियुक्त ओमप्रकाश जायसवाल पुत्र जवाहर लाल निवासी ग्राम अन्धामोड़ भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व 800/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत घर में घुसकर नाबालिक के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित -*

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्षन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0- 61/2020 धारा 376, 511, 452 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश एसजे/ पाक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा घर में घुसकर नाबालिक के साथ बलात्कार का प्रयास करने वाले दोषी अभियुक्त रूखानी उर्फ उपेन्द्र राजभर पुत्र लालचन्द्र राजभर निवासी ग्राम खुनशेदपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को 05 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थ दंड ना अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।